

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1480

दिनांक 30/6/17

प्रेषित :-

तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 68/2017 अनवान ईशाक बनाम ओखा वगैरा
पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 27.06.17 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकॉर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन - निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।




सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.
अनवान वादी - 1.इशाक पुत्र जीथों, जाति मुसलमान कुम्हार
निवासी साता, तहसील : सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण - 1. ओखा 2.बचा 3.नूरा पि.जीथो 4.सायकी पत्नि जीथो
5. गाजी पुत्र सुरता 6.करीम 7.मुबारक पिर.रहमान
जाति मुसलमान कुम्हार, निवासी साता, तहसील सेड़वा।
8.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे साता
9.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री मोहनलाल खिलेरी
प्रतिवादीगण वकील -

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.
मुकदमा नं. 68/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री मोहनलाल खिलेरी एड. मिनजानिब मुदाई व श्री एड.. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा साता पटवारी हल्का साता, तहसील सेड़वा के खसरा नं. 105 रकबा 149.00 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पचा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.6.17 को जारी की गई।

दस्तखत.....
सहायक कलक्टर
ओहदा (S.D.O.) चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वर्जी		
स्टाम्प सबूत			महनताना वकील) पर खर्चा		
पइमनामा वकील			गवाहान फीस कमीशनर बाबत		
खर्चा गवाहान			इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
फीस कमीशनर				मीजान	
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	ओखा वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	आसमानी
2	बचा वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	लाल
3	इशाक वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा. देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	कबू
4	नूरा वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	पहाड़ी
5	सायकी पत्नि जीथों, कौम कुम्हार, सा. देह खातेदार	साता	105	14.14	बा.सो.	0.44	हरा
6	गाजी वल्द सुरता, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार, रहन एसबीबीजे शाखा साता में	साता	105	36.17	बा.सो.	1.11	नारंगी
7	करीम, मुबारक पि.रहमान, सरीफों पत्नि रहमान, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	36.17	बा.सो.	1.11	पीला
8	ओखा, बचा, इशाक, नूरा पि. जीथों, सायकी पत्नि जीथों, गाजी वल्द सुरता, करीम, मुबारक पि.रहमान, सरीफों पत्नि रहमान, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	01.12	बा.सो.	0.05	काला

क्र.सं.8 में वर्णित 01.12 बीघा भूमि रास्ते हेतु खातेदारान द्वारा जरिये समर्पण पत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किये जाने हेतु तहसीलदार सेड़वा को आवेदन दिया गया है। जिसे तहसीलदार सेड़वा को समर्पण स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता (सार्वजनिक रास्ता) हेतु दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। विभाजन प्रस्ताण निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भागीरथराज)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 68/2017

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान वादी - 1.इशाक पुत्र जीथों, जाति मुसलमान कुम्हार
निवासी साता, तहसील : सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण - 1. ओखा 2.बचा 3.नूरा पि.जीथो 4.सायकी पत्नि जीथो
5. गाजी पुत्र सुरता 6.करीम 7.मुबारक पि.रहमान
जाति मुसलमान कुम्हार, निवासी साता, तहसील सेड़वा।
8.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे साता
9.तहसीलदार सेड़वा।

अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :- 27.06.17

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा साता, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 105 रकबा 149.00 बीघा का आया हुआ है। जिसमें वादी का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा खातेदारी में बनता है। वादी उपरोक्त वादग्रस्त में अपना 1/10 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाकर "बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट" बंटवाड़ा कर पृथक घोषित करवाने हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी वकील द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबन्दी व नक्शा मौजा साता के खसरा सं. 105 क प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में पेश की।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प झड़पा में पेश हुई। भू.अ.नि.अरटी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति से बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे विभाजन के रूप में स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया जावे। तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। तहसीलदार सेड़वा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव जिसमें सभी रिकोर्ड्स सहखातेदारों के हस्ताक्षर होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। जिसके अनुसार मौजा साता के खसरा सं. 105 रकबा 149.00 बीघा भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

सहायक कलक्टर
चौहटन

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किरम	लगान	बरंग
1	ओखा वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	आसमानी
2	बचा वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	लाल
3	इशाक वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	कबू
4	नूरा वल्द जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.15	बा.सो.	0.44	पहाड़ी
5	सायबी पत्नि जीथों, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	14.14	बा.सो.	0.44	हरा
6	गाजी वल्द सुरता, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार, रहन एसबीबीजे शाखा साता में	साता	105	36.17	बा.सो.	1.11	नारंगी
7	करीम, मुबारक पि.रहमान, सरीफों पत्नि रहमान, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	36.17	बा.सो.	1.11	पीला
8	ओखा, बचा, इशाक, नूरा पि. जीथों, सायकी पत्नि जीथों, गाजी वल्द सुरता, करीम, मुबारक पि.रहमान, सरीफों पत्नि रहमान, कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार	साता	105	01.12	बा.सो.	0.05	काला

क्र.सं.8 में वर्णित 01.12 बीघा भूमि रास्ते हेतु खातेदारान द्वारा जरिये समर्पण पत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किये जाने हेतु तहसीलदार सेड़वा को आवेदन दिया गया है। जिसे तहसीलदार सेड़वा को समर्पण स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता (सार्वजनिक रास्ता) हेतु दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। विभाजन प्रस्ताण निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प झड़पा मे सुनाया गया।

(मागीरुथाम)
सहायक क्रलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

3 गाँवा = रसागा
 गड = रसागा
 रसागा = 9 दंडा = 20 गाँवा



EX COPT
 (ISDO) बालिका

सारिका (पु.म. संस्था)
 सारिका

- 1) बायल वड, सारिका वड 105-11-15
- 2) सारिका वड (सुभासकालीन) कोरगाव 105-11-15
- 3) सारिका वड (सुभासकालीन) कोरगाव 105-11-15
- 4) सारिका वड (सुभासकालीन) कोरगाव 105-11-15
- 5) सारिका वड (सुभासकालीन) कोरगाव 105-11-15
- 6) सारिका वड (सुभासकालीन) कोरगाव 105-11-15
- 7) सारिका वड (सुभासकालीन) कोरगाव 105-11-15
- 8) सारिका वड (सुभासकालीन) कोरगाव 105-11-15

काशि